# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 56/2021

न्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, सेवा केन्द्र श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 6, चिडावा, जिला झुंझुनूं, मो0न0 9413366054, 6376308424

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एस0डी0एम0 ) चिडावा।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

**आदेश**

दिनांक 15.04.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.03.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 56/2021 पर दिनांक 31.03.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एस0डी0एम0 ) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एस0डी0एम0 ) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एस0डी0एम0 ) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /1084—85 दिनांक 31.03.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एस0डी0एम0 ) चिडावा ने पत्रांक न्याय/2021/267 दिनांक 12.04.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, सेवा केन्द्र श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 6, चिडावा, जिला झुंझुनूं को इस कार्यालय के पत्रांक न्याय/2021/175 दिनांक 04.03.2021 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना भिजवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एस0डी0एम0 ) चिडावा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक न्याय/2021/267 दिनांक 12.04.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, सेवा केन्द्र श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 6, चिडावा, जिला झुंझुनूं को उनके कार्यालय के पत्रांक न्याय/2021/175 दिनांक 04.03.2021 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना भिजवा दी गई थी। अपीलार्थी ने बहस के दौरान अवगत कराया कि उन्हे वांछित सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लो0सू0अ0 ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एस0डी0एम0 ) चिडावा को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को 7 दिवस मे उसके द्वारा चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 15.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.23 16:36:40 IST
Reason: SelfAttested